International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =7.938, July-December 2024, Submitted in November 2024, ISSN -2393-8048

एक राष्ट्र एक चुनाव के क्रियान्वयन में चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रो० विनीता पाठक, आचार्या, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
अजीत यादव, शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

शोध सार

एक राष्ट्र एक चुनाव से तात्पर्य 5 वर्ष में होने वाले एक बार के ही चुनाव में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकाय को एक साथ कराने से है।हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद एक साथ चुनाव कराने की नीति को लाने कि फिर से पहल की,जिसे "एक राष्ट्र एक चुनाव" के रूप में जाना जाता है। सत्ता रूढ़ दल और उसके गठबंधन से लेकर हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने सकारात्मक विशेषताओं के लिए इसका समर्थन किया है।वर्तमान सरकार का ध्यान फिलहाल लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ आयोजित कराने से हैं। 4 मार्च 2021 को कर्नाटक के विधान सभा और विधान परिषद् ने "एक राष्ट्र एक चुनाव" पर दो दिनों तक चर्चा की। विचार-विमर्श के बाद दोनो सदनों की राय दिल्ली भेजी गई। चर्चा में कर्नाटक के मुख्यमंत्री B.S येदियुरप्पा ने "एक राष्ट्र एक चुनाव" विषय पर बहस की आवश्यकता पर बल दिया। क्योंकि बार-बार चुनाव होने का मतलब था आचार आदर्श संहिता का लगना जिसके कारण सरकार के काम काज में बढ़ा उत्पन्न होती हैं। और सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप और विकास के कार्यों में अनावश्यक देरी होती हैं। विधान सभा में "एक राष्ट्र एक चुनाव" पर बहस के दौरान विधान सभा में कहा गया की यद्यपि लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया हैं,लेकिन बार-बार होने वाले चुनाव महंगे और समय लेने वाले होते हैं। जिससे आम जन जीवन भी प्रभावित होता हैं। उन्होंने संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पर बल दिया। लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक साथ चुनाव कराने की अनुमति दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा अगर ऐसा होता हैं तो शुरुआती दौर में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस पर सभी स्तरों पर चर्चा की जानी चाहिए, "इस विषय पर बहस की जानी चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।" हम उन सभी आलोचनाओं को नजर अंदाज नहीं कर सकते जो समय-समय पर विपक्षी दलों से मिली हैं। वर्तमान समय में हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम आने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से पहले उन सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों पर गौर करें और चिंतन करे की यह नीति हमारे लिए कहा तक उचित हैं। हम इस लेख में विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो हमें न केवल एक मतदाता के रूप में, बल्कि भारत के नागरिक के रूप में देखना होगा कि यह नीति वास्तव में भारत सरकार और हमारे लिए कितनी उपयुक्त है।

संकेत शब्द - लोकतंत्र, संघीय ढांचा, एनडीए सरकार, मतदाता, भारतीय संविधान,चुनाव।

परिचय

अगर हम देश में होने वाले चुनाव पर नजर डालें तब देखते हैं प्रत्येक वर्ष किसी न किसी

राज्य में चुनाव होते रहते हैं जिससे लगता है हमारा देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। भारत में चुनाव दो तरह के होते हैं

1 प्रत्यक्ष चुनाव - नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सीधे वोट डालते हैं। 2 अप्रत्यक्ष चुनाव - जहां निर्वाचित प्रतिनिधि दूसरे सदस्यों का चुनाव करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जिसमे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों की अवधि 5 वर्ष है, लेकिन चुनाव अलग-अलग समय पर आयोजित किए जाते हैं। भारत के चुनाव आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट,1983 के समय से ही एक साथ दोबारा चुनाव करने के विषय पर चर्चा हो रही है। पहल को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी जिसके लिए 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की जरूरत होगी। सांसद में पहली बार इस अवधारणा को भूतपूर्व विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति B.P. जीवन रेड्डी द्वारा 170वी रिपोर्ट “चुनावी कानूनों में सुधार” (1999)द्वारा लाया गया। “एक राष्ट्र एक चुनाव” द्वारा दो बातों का संकेत मिलता हैं ; पहला केंद्र में एक प्रमुख पार्टी राज्यों को गति प्रदान कर सकती हैं,लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखना आसान नहीं हैं। और दूसरा अलग-अलग राज्यों की गतिशीलता को देखते हुए,भारत के लिए एक साथ चुनाव जारी रखना आसान नहीं हैं। विभिन्न राज्यों के चुनाओं को केंद्र के साथ समायोजित करना केवल विधायी शर्तो को समायोजित करने का एक तकनीकी मामला नहीं हैं; बल्कि इसमें राज्यों को संविधान द्वारा प्रदान की गई अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से कम करना शामिल हैं जिससे उनकी स्वायत्तता भी प्रभावित होगी। यह कोई नया प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1967 से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव इसी क्रम में होता था। यह कम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। लेकिन हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विषय पर चर्चा के कारण पहले से कहीं ज्यादा बहस हुई है।

एक राष्ट्र एक चुनाव क्या हैं?

अक्सर कहा जाता है कि भारत में मतदान एक उत्सव है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 30 वर्षों में एक भी साल ऐसा नहीं बीता जब चुनाव न हुए हो। और पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें हमें तो ज्ञात होता है कि सिर्फ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 4 से 7 चुनाव औसतन प्रतिवर्ष भारत में चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। भूत पूर्व चुनाव आयोग के अध्यक्ष S.Y. कुरैशी के अनुसार “भारत में चुनाव ध्रुवीकरण की समस्याएं हैं जो क्रोनिकैपिटलिज्म,भ्रष्टाचार,जातिवाद,सम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। और चुनाव जीतने के बाद नेता नौकरशाह गठबंधन करके चुनाव के दौरान खर्च की हुई रकम के उगाही में लिप्त हो जाते हैं”।इसी लिए कुरैशी जी ने एक साथ चुनाव कराने पर बल दिया।73वे स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानमंत्री नीति पर चर्चा के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को एक बैठक में आमंत्रित किया।भारत में तीन स्तरों पे चुनाव का कराए जाते हैं जिनमे प्रथम स्तर पे लोक सभा और द्वितीय स्तर के राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव केंद्र के चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं तीसरे स्तर के स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य सरकार द्वारा कराए जाते। •ONOE

(one nation one election) का विचार चुनाव को इस तरह समायोजित करने के बारे में हैं जिससे लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ समन्वयित किया जाय और पांच साल में एक साथ एक बार के चुनाव में संपन्न करा लिया जाय।

एक साथ चुनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

प्रधानमंत्री मोदी ONOE अवधारणा के मुख्य समर्थक को में से एक हैं, लेकिन एक साथ चुनाव की अवधारणा कोई नई नहीं है, भारत ने अतीत में ONOE का पालन किया हैं, इसी अवधारणा के आधार पर भारत के प्रथम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1952 से 1957, 1962 और 1967 के चुनाव संपन्न हुए थे। सर्वप्रथम 1983 में चुनाव आयोग द्वारा दोबारा एक साथ चुनाव कराने को लेकर सुझाव दिया गया। भारतीय विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट, "चुनावी कानून में सुधार"(1999) में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 1967 के बाद के चुनाव संविधान के अनुच्छेद 356 के बार-बार उपयोग के कारण बाधित हो गए,जो अपवाद का मामला था वह आदर्श बन गया। ONOE का मुद्दा पहले से ही कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भारी समर्थन प्राप्त कर चुका है, जैसे इससे सरकारी धन की बचत होगी,काले धन पर अंकुश लगेगी,एक बार के लिए सुरक्षा बल की तैनाती होगी,सार्वजनिक जीवन में कम व्यवधान पड़ेगी, रैलियों के भाषणों में जातिवाद, सांप्रदायिकता,धर्म आदि पर टिका टिप्पणी की संख्या में कमी आएगी आदि। वास्तव में इस नीति में कई कमियां हैं जिसे इस लेख में उन कमियों पर आगे चर्चा की गई है।

ONOE और प्रमुख संवैधानिक आयाम:

एक राष्ट्र एक चुनाव के विश्लेषकों का मानना है कि संविधान ने हमें संसदीय मॉडल प्रदान किया है जिसमें लोकसभा और विधानसभाएं 5 वर्षों के लिए चुनी जाती हैं लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है।

• पहला संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इस विचार के बिलकुल विपरीत दिखाई देते हैं।

•अनुच्छेद 2 के अंदर संसद द्वारा किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सांसद कोई नया राज्य बना सकती है जहां अलग से चुनाव करना पड़ सकता हैं।

• अनुच्छेद 352 के अनुसार यह, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

•इसी तरह अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित राज्यों के समीकरणों में असंभावित उलटफेर होने से वहां फिर से चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थितियां एक राष्ट्र एक चुनाव के नितांत विपरीत हैं।

•दूसरा यह संसदीय ढांचे के विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। क्योंकि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करने पर कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल उनकी मर्जी के खिलाफ घटाया या बढ़ाया जाएगा,जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी।

•यह भी है कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए तो यह संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाए या इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपनी पहचान को दें।

एक राष्ट्र एक चुनाव के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां:

ONOE को लागू करने में सरकार के सम्मुख कई चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश,ओडिशा और सिक्किम के चुनाव हो चुके हैं और और इसी साल लोकसभा के चुनाव के बाद राजस्थान,जम्मू और कश्मीर के चुनाव भी हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में हरियाणा महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्यों के सरकारों का कार्यकाल पूरा होने का समय अलग-अलग होगा।

ONOE को लागू करने के लिए उनके चुनाव को एक साथ समायोजित करना होगा। जिसमें अनुच्छेद 83,85,172,174,352,356,365 तथा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950,51 की प्रक्रिया में संशोधन करना होगा। जिसे सरकार सभी राजनीतिक दलों की सहमति के आधार पर ही कर सकती है,जो सरकार के सम्मुख मुख्य चुनौती है।

•दूसरा वर्तमान में प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक ईवीएम का प्रयोग किया जाता है तब एक साथ चुनाव कराने के लिए अधिक ईवीएम और VV पैट की जरूरत होगी।

•अतिरिक्त मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी।

•बूथ तक सामग्री पहुंचाने में समस्या होगी।

•पहले से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत होगी इसके लिए अतिरिक्त केंद्रीय पुलिस बलों की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

•इतनी बड़ी मात्रा में ईवीएम को स्टोर करने की समस्या को भी मुख्य चुनौती कहा जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में लगातार होने वाले चुनाव के मुद्दे ने मौजूदा सरकार का ध्यान खींचा हैं; और एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं पर चर्चा हो रहीं हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इस योजना के लिए समर्थन और इस विषय पर तेजी से और ईमानदारी से व्यापक सहमति बनाने की दृढ़ इच्छा व्यक्त की हैं। एक साथ चुनाव कराने के कई लाभ समझ आते हैं। आदर्श चुनाव संहिता का लागू होना जो कल्याण और विकास कार्यों में बाधा डालती हैं। सुधार की आवश्यकता इसलिए भी हैं क्योंकि सरकार और उसके हितधारकों द्वारा चुनाव के लिए की जाने वाली महत्वपूर्ण लागत,सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की दीर्घकालिक तैनाती शामिल हैं। भारत की जानसंख्याकी और इसकी युवा आबादी की बढ़ती अपेक्षाओं को देखते हुए,शासन में आने वाली बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण हैं और इसे तेजी से दूर किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यह लोकतंत्र की एक कठिन लेकिन अद्वितीय शैली का पालन करता है। जैसा कि मैं अपने लेख में उपरोक्त के चर्चा में पहले ही उल्लेख

किया है,की लोगों को ONOE के बारे में जागरूक और समझदार बनाने और इस नीति को जनता के मध्य पहुंचाने के लिए सरकार को और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। ONOE की नीति भारतीय संघीय व्यवस्था के मूल ढांचे में समस्या पैदा ना करें इसके लिए सरकार को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। चुनाव को एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी चुनावी प्रणाली का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव के कई सारे फायदे हैं और इसके संबंध में सभी सकारात्मक प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस बुद्धिमान नीति को लागू करते समय सभी राजनीतिक दलों सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष पक्ष तक को अपने संकीर्ण राजनीति स्वार्थ से ऊपर उठकर निर्णायक रोल अदा करना होगा, ताकि देश को चुनावी मोड़ से निकाला जा सके। एक साथ चुनाव को अपनाने के लिए संविधान में काफी बदलाव की आवश्यकता होगी, साथ ही मतवापूर्ण दलों के बीच व्यापक सहमति की जरूरत भी होगी। विशेषज्ञ,थिंक टैंक,सरकारी अधिकारी और राजनीति दल के सदस्य चुनावी सुधारो को तैयार करने,संक्रमण के लिए एक रूपरेखा बनाने और लक्षित समूह में संचार रणनीति तैयार करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। हमारा भारत एक विशाल देश हैं जहां विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, विभिन्न संस्कृतियां, जातियां,धर्म,भाषा वाला देश जिसे विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। इसके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी अलग-अलग पहचान है। लोकतंत्र के वास्तविक स्रोत हमारे नेताओं को इन बातों को ध्यान में रखकर सावधानी बरतते हुए ONOE की नीति को लागू करना चाहिए ताकि जनता की भावनाएं आहत न हो।

अपने पेपर के माध्यम से जांच करने के बाद मैं यही पता हूं कि इतनी सारी समस्याओं के बावजूद इसमें कई गुण है। हमारे नेताओं को इस नीति को लागू करने में एक सकारात्मक उत्साह होनी चाहिए और भारतीय चुनाव प्रणाली पर विश्वास ताकि एक बेहतर भविष्य की स्थापना की जा सके और ऐसे सुधार शासन को बेहतर बनाने और भारत में व्यापक चुनावी सुधारो की शुरुआत करने के लिए आवश्यक हैं।

Refrences :

1. Election Commission of India. (n.d.). Reports on Electoral Reforms. Election Commission of India. Retrieved from https://eci.gov.in
2. Kovind Committee Report. (2023). Report on Feasibility and Implications of Simultaneous Elections in India. Government of India
3. Law Commission of India. (1999). 170th Report on Reform of the Electoral Laws. New Delhi: Ministry of Law and Justice.
4. Law Commission of India. (2015). 255th Report on Electoral Reforms. New Delhi: Ministry of Law and Justice. Retrieved from https://lawcommissionofindia.nic.in/reports
5. Yadav, Y. (2018). "One Nation, One Election: Risks for Federalism and Regional Politics." The Hindu. Retrieved from https://www.thehindu.com
6. Debroy, B. (2019). "The Case for One Nation, One Election." NITI Aayog Blog. Retrieved from https://niti.gov.in
7. "Federalism and One Nation, One Election" - Journal of Legal Studies and Research, Volume 9, Issue 6 (2023),
8. "One Nation, One Election: Issues and Challenges" - Supremo Amicus, Volume 24

9.The Hindu Businessline. (2023, September 1). Panel formed to give report on one nation one election issue. Retrieved from https://www.thehindubusinessline.com/news/national/panel-formed-to-give-report-on-one-nation-one-election-issue/article67260479.ece
10. Bansal, M. (2019). The concept of one ntion one election: An analysis from Indian perspective. Think India, 22(4), 3077-3084.
11.Hindustan Times. (2023, February 6). ECI is master of elections: High Court on one nation, one election plea. Retrieved from https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/eci-is-master-of-elections-high-court-on-one-nation-one-election-plea-101675686616013.html
12.India Today. (2024, January 23). AAP opposes BJP-led Centre's proposal of one nation, one election. Retrieved from https://www.indiatoday.in/india/story/aap-opposes-bjp-led-centre-proposal-of-one-nation-one-election-2325485-2023-01-24
13.Ghai, K. K. (2008). Indian government and politics. Kalyani Publishers.
14.Bhagat, P., & Pokhrayal, P. (2020). Conceptual reform one nation one election. IIkogretim Online: Elementary Education Online, 19(4), 3229-3935..